



**कार्यालय : अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची।**



e-mail : pccf-development@gov.in

☎ - 0651-2481813/ 9304727852

पत्रांक : 01/यो0बजट-32/2021-695 दिनांक : 30/9/2021

प्रेषक,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास  
झारखण्ड, राँची।

सेवा में,

वन प्रमण्डल पदाधिकारी,  
राँची वन प्रमण्डल, राँची।

**विषय :-**

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जाने वाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों के रख-रखाव कार्य के लिए कुल **रु0 166.622 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख बासठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र राशि का ऑन लाईन उप आवंटन (Online Sub Allotment)।

**प्रसंग:-**

विभागीय स्वीकृत्यादेश संख्या 4/यो0ब0-25/2020-13/स्वी0 व0प0 दिनांक 24.09.2021 एवं विभागीय आवंटन आदेश संख्या 04/यो0ब0-25/2020-32/आ0 व0प0 दिनांक 27.09.2021।

महाशय,

उपरोक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्र के आलोक में बजट मुख्य शीर्ष-2406-वानिकी तथा वन्य प्राणी, उप मुख्य शीर्ष-01 वानिकी, लघु शीर्ष-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष-59 अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2021-22 में बजट उपबंध के अंतर्गत स्वीकृत राशि में से कुल **रु0 166.622 लाख (एक करोड़ छियासठ लाख बासठ हजार दो सौ रुपये)** मात्र का उप आवंटन निम्नलिखित इकाइयों में किया जाता है :-

| प्राथमिक इकाई       | विपत्र कोड           | (राशि लाख में) |
|---------------------|----------------------|----------------|
| मजदूरी              | 19S24060179659010103 | 139.859        |
| आपूर्ति एवं सामग्री | 19S24060179659010323 | 26.763         |
| <b>कुल :-</b>       |                      | <b>166.622</b> |

2. इस राशि की निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी **अनुलग्नक-1** पर वर्णित वन प्रमण्डल पदाधिकारी होंगे जो अपने सम्मुख अंकित कार्यों की राशि से अपने-अपने कार्यालयों के कार्यों के लिए उत्तरदायी होंगे एवं इस कार्यालय को ससमय भौतिक एवं वित्तीय प्रगति प्रतिवेदन तथा उपयोगिता प्रमाण पत्र समर्पित करेंगे। ऑन लाईन उप आवंटन की प्रति **अनुलग्नक-2** पर द्रष्टव्य है।

3. इस योजना का कोड संख्या-19S24060179659010103 तथा 19S24060179659010323 है, जो कोषागार से राशि निकासी के लिए प्रस्तुत विपत्रों एवं व्यय प्रतिवेदन में अनिवार्य रूप से अंकित किया जाएगा।

4. इस योजना के नियंत्री पदाधिकारी प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड होंगे, जिनके मार्गदर्शन में अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण सुनिश्चित किया जाएगा।
5. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन सुनिश्चित किया जायेगा। निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पन्न कराया जाएगा तथा प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।
6. स्वीकृत राशि की निकासी वित्त विभागीय पत्रांक 2561 दिनांक 17.04.1998 एवं समय-समय पर निर्गत परिपत्रों के आलोक में किया जायेगा। राशि को स्वीकृत योजना तक सीमित रखा जायेगा।
7. राशि की निकासी संबंधित जिलों में अवस्थित कोषागार/ उप कोषागार से की जाएगी तथा झारखण्ड कोषागार संहिता के नियम-174 एवं सभी वित्तीय नियमों का अनुपालन दृढ़तापूर्वक किया जाएगा।
8. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी तथा उनके नियंत्री पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना के क्रियान्वयन के पूर्व स्थल विशेष प्राक्कलन तैयार कर उस पर सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त करने के उपरांत ही राशि व्यय करेंगे।
9. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि किसी भी परिस्थिति में आवंटित राशि से अधिक की निकासी एवं व्यय नहीं किया जायेगा एवं निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों का विचलन न हों।
10. अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास के द्वारा योजना कार्यान्वयन का सतत् अनुश्रवण एवं तकनीकी पक्षों पर कार्यान्वयन प्रभाग/कार्यान्वयन एजेन्सी का मार्गदर्शन किया जायेगा।
- निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, उनके नियंत्री पदाधिकारी तथा अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं निदेशक, प्रसार वानिकी/क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक निम्न कार्य पर विशेष ध्यान करेंगे :-
- (i) योजनांतर्गत प्रत्येक माह हेतु निर्धारित वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य के विरुद्ध प्रगति से इस कार्यालय को अवगत कराया जाएगा।
  - (ii) नियमित रूप से राशि का व्यय, समायोजन तथा प्रमंडलीय लेखा में प्रवृष्टि की भी समीक्षा करेंगे। ससमय लेख प्रेषण सुनिश्चित करने की समीक्षा की जायेगी।
  - (iii) नियमित निर्धारित अन्तराल पर सभी आवश्यक समीक्षा एवं बैठकों का आयोजन offline या online video conferencing इत्यादि के माध्यम से भी किया जाय।
  - (iv) कोई Duplication अन्य केन्द्रीय/राज्य योजना से नहीं किया जाय यथा कैम्पा, वन्यप्राणी पर्यावास का समेकित विकास, पलामू व्याघ्र परियोजना, वन अग्नि रोकथाम एवं प्रबंधन योजना, हाथी परियोजना इत्यादि।
  - (v) दो या दो से अधिक स्रोत से प्राप्त धनराशि का भौतिक/वित्तीय व्यौरा स्पष्ट रूप से अंकित रखा जायेगा।

(vi) विभिन्न आय स्रोतों पर धन राशि व्यय हो रही है, गत 3 वर्ष में आमदनी का ब्यौरा भी स्पष्ट किया जाय। यह राशि कोषागार में जमा की जाय। कंडम सामग्री का निष्पादन विधिवत स्थापित प्रक्रिया के तहत किया जाय। स्पटाकपंजी इत्यादि तदनुसार सत्यापित एवं update रहे।

11. Monitoring विभिन्न कंडिकाओं में अंकित निर्देशों के साथ-साथ निम्न व्यवस्था भी की जायेगी :-

(क) योजना का सामाजिक अंकेक्षण पूर्व तीन वर्षों का कराया जाय। वित्तीय वर्ष 2021-22 से नियमित रूप से सामाजिक अंकेक्षण कराया जायेगा।

(ख) तृतीय पक्ष मूल्यांकन (बाह्य मूल्यांकन) प्रतिष्ठित संस्थान से कराया जाय।

(ग) विभागीय स्थापित monitoring व्यवस्था के अतिरिक्त राज्य सरकार monitor, भारत सरकार के पैट्रन पर योजना monitoring के लिए अधिकृत कर सकती है।

12. (I). निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों द्वारा योजना का सफल कार्यान्वयन 100 प्रतिशत निर्धारित भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य को प्राप्त करना सुनिश्चित किया जायेगा।

(II) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारियों के द्वारा कार्यान्वयनाधीन योजनाओं का नियमित निरीक्षण निर्धारित 100 प्रतिशत भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य के अनुरूप करते हुए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार कार्य सम्पादन कराया जाएगा।

(III) निरीक्षण प्रतिवेदन प्रत्येक माह की पाँच तारीख तक अपनी नियंत्री पदाधिकारी (अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास, झारखण्ड) को वित्तीय एवं भौतिक प्रगति प्रतिवेदन समर्पित किया जाएगा।

(IV) निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी sub-disbursal से भुगतान ब्यौरा प्राप्त करके उसका सत्यापन कर सकेंगे। मास्टर रोल में बैंक account no. के साथ फोन नम्बर (यथा संभव) भी एकत्र किया जाय।

(V) योजना का ब्यौरा विभागीय पोर्टल पर संधारित किया जाय। नियंत्री पदाधिकारी एक स्थाई प्लेटफार्म e-green watch/MGNAREGA इत्यादि के पैट्रन पर तैयार करायें।

(VI) सभी भुगतान DBT या सीधे खाते में श्रमिकों तथा सामग्री आपूर्ति कर्ता को किया जायेगा। किसी भी परिस्थित में नगद (CASH) भुगतान नहीं किया जायेगा।

(VII) बैंक स्टेटमेंट भी sub-disbursal का साक्ष्य मास्टर रोल/भाउचर के साथ प्राप्त कर लें ताकि नियमित भुगतान की समीक्षा की जा सके। इसका सत्यापन विपत्र पारित करने तथा लेखा समायोजन में किया जाय।

(VIII) Income Tax (IT)/Service Tax (GST/VAT)/Mines Royalty के तहत जहाँ at-source कटौती करना है, यह कटौती DDO/sub-disbursal सुनिश्चित करेंगे तथा ससमय return जमा करेंगे।

(IX) कंडिका- VIII के उल्लंघन में व्यक्तिगत दोष DDO का होगा।

13. (i) मजदूरी का भुगतान श्रम नियोजन एवं प्रशिक्षण विभाग, झारखण्ड सरकार द्वारा निर्धारित अद्यतन दर के अनुरूप किया जायेगा। मजदूरी मद में स्वीकृत राशि का व्यय योजना के परिमाणकों के अंतर्गत एवं निर्धारित मजदूरी दर के अनुरूप वास्तविक व्यय तक सीमित रखना सुनिश्चित किया जायेगा।

(ii) सभी यंत्र-संयंत्र एवं मशीन उपकरण आदि का भौतिक सत्यापन सुनिश्चित करते हुए वित्तीय नियमों के अनुपालन पश्चात् मशीन उपकरण एवं सामग्रियों का क्रय e-GEMS से किया जाय।

(iii) वैसे यंत्र-संयंत्र, मशीन उपकरण जिनका क्रय e-GEMS के माध्यम से नहीं हो सकता है, उनका क्रय निविदा आमंत्रित करके की जाएगी यथा संभव e-tender का पालन किया जाय। ऐसे मामले जहाँ e-tender संभव नहीं है, योजना के नियंत्री पदाधिकारी से विधिवत लिखित अनुमति प्राप्त कर निविदा आमंत्रित किया जाय। निविदा आमंत्रण में CVC की मार्गदर्शिका का पालन किया जाय।

14. (i) COVID-19 के रोकथाम के संबंध में संबंधित वन प्रमंडल पदाधिकारी का यह दायित्व रहेगा कि जहाँ-जहाँ मजदूरों से कार्य लिया जायेगा उनसे Social distancing तथा उनके मास्क का प्रयोग अनिवार्य रखा जायेगा। हैन्डवाश इत्यादि की समुचित व्यवस्था की जाय।

(ii) ऐसे पदाधिकारी/कर्मचारी जो पूर्व में संतोषजनक कार्य नहीं किए हैं तथा वित्तीय अनुशासन का सख्ती से पालन नहीं करते हैं उन्हें चिन्हित कर विशेष निगरानी रखेंगे।

15. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि इस योजना अंतर्गत मजदूरी मद में मजदूरों को भुगतान की जाने वाली राशि का भुगतान मजदूरों के बैंक खाते के माध्यम से ही किया जायेगा। साथ ही सामग्री के भुगतान के संबंध में विभागीय पत्रांक 1204 दिनांक 20.03.2017 का अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

16. नियंत्री तथा निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी की यह जिम्मेवारी रहेगी, अगर वे देखें कि यदि कोई ऐसी योजना का कार्य के विरुद्ध राशि का व्यय किया जा रहा है, जिसे दूसरे स्रोत से राशि मिल रही है या मिलने जा रही है, तो इसकी निकासी रोककर इसके निराकरण हेतु सूचना अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास को तुरंत देंगे। नियंत्री एवं निकासी पदाधिकारी यह सुनिश्चित करेंगे कि योजना में निहित कार्यों का दोहरीकरण न हों।

17. योजनाओं में सामग्री का क्रय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत दिशा-निर्देश एवं वित्तीय नियमों तथा वन एवं पर्यावरण विभाग के संकल्प संख्या 940 दिनांक 16.03.1992 द्वारा क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक/ मुख्य वन संरक्षक की अध्यक्षता में गठित क्रय समिति की अनुशंसाओं के अनुसार की जायेगी।

18. इस योजनान्तर्गत वानिकी कार्यों का सम्पादन विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के तहत सक्षम प्राधिकार से अनुमोदित दर पर किया जायेगा तथा योजनान्तर्गत किये जाने वाले ऐसे कार्य जिनका दर विभागीय अधिसूचना संख्या 2371 दिनांक 05.05.2015 में निरूपित प्रावधानों के कार्यक्षेत्र से बाहर है, की दर का निर्धारण योजना के नियंत्री पदाधिकारी द्वारा वित्त विभाग की निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप किया जायेगा तथा विभागीय कार्यालय आदेश संख्या-सह-ज्ञापांक-686, दिनांक-05.02.2016 द्वारा विभाग के अन्तर्गत वृक्षारोपण कार्यों को छोड़कर अन्य कार्यों तथा सेवाओं के लिए गठित Procurement Committee की अनुशंसा के अनुरूप कार्रवाई की जायेगी।

19. निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा Account Code Vol (III) की धारा 288 के अनुसार अपने कार्यालय का मासिक लेखा आगामी माह की 5वीं तारीख तक महालेखाकार कार्यालय में जमा करना सुनिश्चित किया जायेगा तथा लेखा का त्रैमासिक Reconciliation ससमय निश्चित रूप से कराना सुनिश्चित किया जायेगा। साथ ही Account Code Vol (III) की धारा 297 के प्रावधानों के अनुरूप सरकार द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुरूप निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संवितरकों के खाते का मासिक लेखा/लेजर वन संरक्षक/अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, सामाजिक वानिकी/अन्य नियंत्री पदाधिकारी के माध्यम से महालेखाकार को समर्पित कराना सुनिश्चित करायेंगे।

20. कोषागार से निकासी के संबंध में वित्त विभाग, झारखण्ड, राँची द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेश/निर्देश लागू होंगे।

21. स्वीकृत राशि का भुगतान वित्त विभागीय पत्रांक 3542 दिनांक 19.12.2013 में निरूपित प्रावधानों के अनुरूप किया जायेगा।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

विश्वासभाजन,

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0बजट-32/2021-695 दिनांक-30/9/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक, राँची/वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, राँची/ इनविस सेन्टर, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

ज्ञापांक-01/यो0बजट-32/2021-695 दिनांक-30/9/2021

प्रतिलिपि :- अनुलग्नक सहित कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक :- यथोक्त ।

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची

वित्तीय वर्ष 2021-22 में कार्यान्वित की जानेवाली "अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण" योजना (जनजातीय क्षेत्र उपयोजना) के अंतर्गत विभिन्न पार्कों के रख-रखाव कार्य का प्रमंडलवार उप-आवंटित भैतिक एवं वित्तीय लक्ष्य

(राशि लाख में)

| निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी | भौतिक लक्ष्य |                                                                                                     | वित्तीय लक्ष्य |                     |          |
|----------------------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|----------|
|                            |              |                                                                                                     | मजदूरी         | आपूर्ति एवं सामग्री | कुल राशि |
| i                          | ii           |                                                                                                     | iv             | v                   | vi       |
| राँची वन प्रमण्डल, राँची   | 1            | जैव विविधता पार्क, राँची का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                          | 29.101         | 11.950              | 41.051   |
|                            | 2            | हाईकोर्ट कॉलोनी, डोरण्डा, राँची के सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                    | 5.235          | 0.250               | 5.485    |
|                            | 3            | मूरी-टूंगरी पार्क, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                         | 18.519         | 4.225               | 22.744   |
|                            | 4            | अम्बेदकर पार्क, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                            | 12.275         | 0.225               | 12.500   |
|                            | 5            | ऑडियो विजुअल सेन्टर, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                       | 6.266          | 1.143               | 7.409    |
|                            | 6            | निलगिरी हिल्स, सिल्ली का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                             | 9.028          | 0.360               | 9.388    |
|                            | 7            | दीन-दयाल पार्क, मोरहाबादी का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                         | 7.687          | 4.175               | 11.862   |
|                            | 8            | राजभवन से लेकर करमटोली चौक तक सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                         | 5.237          | 0.250               | 5.487    |
|                            | 9            | स्टेट गेस्ट हाउस से सी0बी0आई0 होते हुए राँची कॉलेज तक सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य | 5.237          | 0.250               | 5.487    |
|                            | 10           | मुख्यमंत्री आवास से राँची कॉलेज, आदिवासी हॉस्टल तक सड़क किनारे का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य    | 5.237          | 0.250               | 5.487    |
|                            | 11           | ऑक्सीजन पार्क, मोरहाबादी का रख-रखाव एवं सौन्दर्यीकरण कार्य                                          | 36.037         | 3.685               | 39.722   |
| योग :-                     |              |                                                                                                     | 139.859        | 26.763              | 166.622  |

अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक, विकास,  
झारखण्ड, राँची



## आवंटन आदेश

### झारखंड सरकार

चात्त वित्तीय वर्ष 2021-22 में व्यय हेतु निम्नांकित दर्शाए गए बजट शीर्ष के सामने अंकित राशि आवंटित की जाती है

पत्र संख्या - 01/YB-32/2021/695

दिनांक - 30-Sep-2021

| क्रमांक | विषय कोड                                                                                                                                                                                                            | एक्सेस नं | निकासी एवं व्ययन पदा.                                                                          | आवंटित राशि                                                      |
|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|
| 1       | S 19 24060179659010103<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01 - वेतन एवं भत्ते | 48813     | DRNFWL013<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>DFO. RANCHI FORES<br>DIVISION RA<br>03 - मजदूरी              | 13,985,900.00<br>रुपये एक करोड उनचालीस लाख<br>पिचयासी हजार नौ सौ |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                |                                                                  |
| 2       | S 19 24060179659010323<br>2406 - वानिकी तथा वन्य प्राणी<br>01 - वानिकी<br>796 - जनजातीय क्षेत्र उपयोगना<br>59 - अधिसूचित वन भूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>01-अधिसूचित वनभूमि के बाहर वृक्षारोपण<br>03 - प्रशासनिक व्यय | 48816     | DRNFWL013<br>ASHOK KUMAR DUBEY<br>DFO. RANCHI FORES<br>DIVISION RA<br>23 - आपूर्ति एवं सामग्री | 2,676,300.00<br>रुपये छब्बीस लाख छहत्तर हजार<br>तीन सौ           |
|         | State Scheme : NA<br>Central Scheme : NA                                                                                                                                                                            |           |                                                                                                |                                                                  |

योग: रुपये एक करोड छछठ लाख बासठ हजार दो सौ

16,662,200.00

(NAND KISHORE SINGH)

ADDL. PCCO. DEV. JHARKHAND